भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3175
गुरुवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

3175. श्री विजय बघेलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उन ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने का है जहां इसका ज्यादा सामाजिक प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि इसे कम लागत पर वित्त उपलब्ध हो सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा क्षमता के विकास और संवर्धन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): अक्षय ऊर्जा को पहले से ही ऋण देने के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रु. की सीमा तक के ऋण, ऋण देने की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और व्यक्तिगत परिवारों के लिए यह सीमा 10 लाख रु. है।

अनुलग्नक

'ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3175 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में कार्यान्वित की जा रही अक्षय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरेः

1. ग्रिड इंटर-एक्टिव/ऑफ ग्रिड अक्षय विद्युत

- पवन विद्युतः मेगावाट स्तर के पवन ऊर्जा फार्म
- जैव विद्युतः बायोमास विद्युत/सह उत्पादन
- अपशिष्ट से ऊर्जाः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन पर कार्यक्रम
- लघु पन बिजलीः 25 मेगावाट क्षमता तक के लघु पन बिजली संयंत्र
- सौर विद्युतः वृहतस्तरीय संयंत्रों, लघु क्षमता के संयंत्रों और रूफटॉप सौर संयंत्रों के माध्यम से ग्रिड इंटर-एक्टिव – सौर पीवी विद्युत उत्पादन संयंत्र। सौर स्ट्रीट लाइटों, सौर स्टडी लैम्पों, सौर जल पंपन प्रणाली, सौर पावर पैक्स आदि सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ऑफ ग्रिड/विकेन्द्रित प्रणालियाँ।

2. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा

- बायोगैस कार्यक्रमः नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी) के अंतर्गत 1 से 25 घन मी. की आकार श्रेणी में लघु बायोगैस संयंत्रों की स्थापना।

3. शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा

- चीनी मिलों के अलावा दूसरे उद्योगों में बायोमास आधारित सह उत्पादन
- सौर वायु तापन/वाष्प उत्पादन प्रणालियाँ: सामूहिक रूप से खाना पकाने/संस्थानों तथा उद्योग में अन्य अनुप्रयोगों के लिए।

4. अनुसंधान, अभिकल्पन और विकास

- प्रमुख संस्थानों और उद्योगों में नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता करना।

*****